

8  
2021

पत्रावली पेश हुई वकूलाय ए०)

सहायक  
उपसचिव  
भारत सरकार (जोयपुर)

दि० ०७-१२-२०२१ को पत्र वकूलाय

सुनी गई वकील कापी न लिखित पत्र

पेश की गई अपनी पत्र में बताया कि

वादीनी का नाम जहाँ न नं० १३०/११ एम०

००४०९ के माफ़े आई हुई को जी अर्थात्

का आवंटित हुई थी जो वादीनी के पिता थी

और खातेदारी जल्द कार्रवाई हो

6

सहायक  
उपसचिव  
भारत सरकार (जोयपुर)



मुकदमा नं. \_\_\_\_\_ मुकाम \_\_\_\_\_

बनाम \_\_\_\_\_

सन् \_\_\_\_\_

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>अपराध नं. 130/11 दारुवर्षि हुक्म। जमानत जारी हुई है। अतः जमानत जमानत और पुनर्निर्देश काण्ड काण्ड वापिस की वजह धारा 7 नहीं है। धारा 7 का शीघ्र ही कार्य है जैसा पुनर्निर्देश काण्ड Civil अध्यायन में पुनर्निर्देश काण्ड है। परीक्षा के लक्ष्य है काण्ड काण्ड अधिवक्ता रिपोर्ट कर, फट्ट है। इन सभी तथ्यों का संश्लेषण रखने है। नोट अधिवक्ता का स्वीकार्य कर वापिस का अधिवक्ता करमान्त जावे। इसके अलावा अधिवक्ता सुनी - अलावली पर इतनेसे दस्तावेज एवं लिखित अहकाम का मानन का अधिवक्ता अधिवक्ता का अधिवक्ता पर 0.7 R-11 CPC स्वीकार्य किया जाता है। अधिवक्ता का अधिवक्ता अधिवक्ता किया जाता है। अलावली के लिये शुभ। होकर नम्बर 11 अधिवक्ता</p>	

6

अधिवक्ता कलम 7  
अधिवक्ता अधिवक्ता  
अधिवक्ता अधिवक्ता